

विवरण पत्रिका

2024-25

गायन वाद्य नृत्य



राजकीय कन्या महाविद्यालय, शिमला
सांध्यकालीन विभाग



सन्देश

राजकीय कन्या महाविद्यालय की छवि हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के मध्य सदैव एक प्रकाश स्तंभ की रही है। अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ छात्राओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए समयानुसार अध्ययन अध्यापन की नवीनतम तकनीकों के द्वारा महाविद्यालय शिक्षित एवम् सुसंस्कृत नागरिक तैयार करने की अपनी गौरवमयी परम्परा को अक्षुण्ण रखे हुए है।

प्रदेश के इस महाविद्यालय में पढ़ना निश्चित ही आपके लिए हर्ष का विषय है। आपका सर्वांगीण विकास ही हमारा उद्देश्य है। किसी भी शिक्षण संस्थान की मजबूत कड़ी उसके शिक्षक होते हैं। महाविद्यालय के शिक्षक गण अपने अथक परिश्रम के द्वारा संस्थान की इस गौरवपूर्ण परम्परा को जीवित रखे हुए हैं।

महाविद्यालय आपका अभिनंदन करता है एवम् आशा करता है कि आपकी ज्ञान पिपासा, हमारा प्रयास और मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके लिए स्वर्णिम भविष्य को सुनिश्चित करेगा।

डॉ. अनुरिता सक्सेना
प्राचार्या



Dr. Luxmi
Associate Professor,
Department of Music (Vocal)

सांध्य कालीन संगीत विभाग

राजकीय कन्या महाविद्यालय, शिमला-171001

(उत्कृष्ट क्षमता युक्त महाविद्यालय)

हमारा ध्येय:

राजकीय कन्या महाविद्यालय एक उत्कृष्ट उच्चतर अध्ययन संस्थान है। इस उत्कृष्ट क्षमतायुक्त महाविद्यालय में सांध्य संगीत अनुभाग के विद्यार्थियों का आधुनिक तकनीकी सुविधा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा मूल्यपरक शिक्षा द्वारा एक समग्र व्यक्तित्व निर्माण करना हमारा ध्येय है ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समकालीन समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन सकें।

हमारा प्रयास:

- सांध्य संगीत अनुभाग में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ जुटाना।
- उन्हें जीवनयापन व कौशल-विकास का प्रशिक्षण देना।
- गुरु-शिष्य परम्परा द्वारा संगीत सीखते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
- जिज्ञासु विद्यार्थियों को संगीत-कला सीखने का अवसर प्रदान करना ताकि वे योग्य व प्रतिष्ठित कलाकार बन सकें।

संक्षिप्त परिचय:

“सा विद्या या विमुक्तये” अर्थात् विद्या वही है जो मुक्ति (मोक्ष) प्रदान करती है। यह महाविद्यालय ‘एलीजियम हिल’ पर स्थित है। रिज मैदान से महाविद्यालय पैदल 10 मिनट में पहुँचा जा सकता है।

इसके गौरवमय इतिहास व धरोहर पर हमें गर्व है। इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 1945 में जुबल के राजा श्री पदम् चन्द्र की पुण्य स्मृति में डिग्री कॉलेज के रूप में हुई थी जो कि स्वतन्त्र भारत से पहले शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। 14 दिसम्बर, 1957 में पंजाब सरकार के आदेशों पर स्थानीय बी.एम. कॉलेज को इसके साथ मिला दिया गया। महाविद्यालय का पुनः नामकरण राणा पदम् चन्द्र सनातन धर्म भार्गव कॉलेज के रूप में हुआ; तत्पश्चात् सन् 1977 में हि.प्र. सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर पूर्ण रूप से कन्या महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया तथा इसका एक बार फिर राजकीय कन्या महाविद्यालय के रूप में नामकरण हुआ। वर्ष 2012 में इसे यू.जी.सी. द्वारा “उत्कृष्ट क्षमतायुक्त महाविद्यालय” चयनित करना एक और उपलब्धि रही। वर्ष 2023 में ‘नैक’ द्वारा इसे बी+ की श्रेणी में स्वीकार्य किया जाना इसके लिए एक बड़ा कदम है। 1978 में इस संस्था में केवल 919 विद्यार्थी थे। राजकीय कन्या महाविद्यालय ने जो कि सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में लड़कियों का एकमात्र सरकारी महाविद्यालय है, एक लम्बा सफ़र तय किया है और आज इसमें छात्राओं की संख्या 3500 पहुँच गयी है।

साँध्य संगीत महाविद्यालय:

वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय का साँध्य संगीत अनुभाग भातखण्डे विद्यापीठ लखनऊ से सम्बद्ध तथा इसमें गायन, वादन एवं नृत्य, संगीत की तीनों विधाओं में पाँच वर्षीय विशारद का कोर्स उपलब्ध है। प्रारम्भ से ही यह उत्तर भारत का सबसे वांछित शास्त्रीय संगीत संस्थान रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विद्यापीठ से सम्बन्ध साँध्य कालीन महाविद्यालय का उद्देश्य शास्त्रीय संगीत (गायन, वादन एवं नृत्य) में स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। इसमें प्रवेश हेतु अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है।

आज तक लगभग 4000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस महाविद्यालय में दृश्य एवं प्रदर्शन कला में शिक्षण प्राप्त किया है। राजकीय महाविद्यालय का संगीत अनुभाग-गायन, वादन एवं नृत्य तीनों विधाओं में शिक्षण दे रहा है। यह पहले आर्ट कॉलेज, नाहन में सन् 1962 में स्थापित हुआ था, जिसे बाद 1968 में नाहन से बदलकर शिमला लाया गया। उस समय यह गवर्नमेंट कॉलेज शिमला-6 के नियन्त्रण में था। 1977 में इसे बदलकर राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य के नियन्त्रण में कर दिया गया।

व्यावसायिक कोर्स के अतिरिक्त महाविद्यालय में हॉबी कक्षाएँ भी चलाई जाती हैं ताकि सरकारी या गैर-सरकारी कर्मचारी और विद्यालयों के छोटे बच्चे भी संगीत-कला का लाभ उठा सकें। यह महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश में अपने प्रकार का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जहाँ इस प्रकार का पाठ्यक्रम संगीत की तीनों विधाओं (गायन, वादन व नृत्य) में पढ़ाया जाता है। इस संगीत अनुभाग में छात्र एवं छात्राएँ दोनों ही प्रवेश के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त गत वर्ष में चित्रकला विषय को हॉबी कक्षा के रूप में आरम्भ किया जा रहा है।

अध्ययन के विषय:

1. शास्त्रीय संगीत में प्रथमा - गायन, वादन तथा नृत्य।
2. शास्त्रीय संगीत में मध्यमा - गायन, वादन तथा नृत्य।
3. शास्त्रीय संगीत में विशारद - गायन, वादन तथा नृत्य।
4. हॉबी कक्षाएं: शास्त्रीय संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
5. चित्रकला

कक्षाओं का समय:

दोपहर 2.00 बजे से 7.00 बजे सायं

शिक्षण स्टाफ:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. प्राचार्या | - डॉ. अनुरिता सक्सेना |
| 2. प्राध्यापक (गायन) | - मेजर डॉ लक्ष्मी |
| 3. प्राध्यापिका (नृत्य) | - प्रो. उषा शर्मा |
| 4. प्राध्यापिक (वाद्य) | - डॉ. अंजली |
| 5. चित्रकला | - डॉ. भादर सिंह |
| 6. गैर शिक्षक स्टाफ | - श्री मोहन चौहान |
| 7. तबला वादन | - रिक्त |

प्रवेश तिथि:

1. प्रवेश दिनांक 01-06-2024 से 30-07-2024 तक बिना विलम्ब शुल्क के निर्धारित है।
2. भातखण्डे विद्यापीठ लखनऊ की सभी परिक्षाएं (प्रथमा, मध्यमा एवं विशारद भाग-1 भाग-2 प्रत्येक वर्ष) दिसम्बर मास में होती है।
3. अगले वर्ष प्रवेश फरवरी माह में होगी तथा कक्षाएं 1 मार्च 2025 से आरम्भ होगी।

प्रवेश हेतु नियम:

1. प्रवेश के सभी अधिकार महाविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सुरक्षित है।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों का चयन प्राचार्या द्वारा गठित प्रवेश समिति (Board) द्वारा किया जाएगा।
3. व्यावसायिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा दस वर्ष निर्धारित है।
4. आयु प्रमाण-पत्र/आधार कार्ड/फोटोग्राफ प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. हिन्दी का साधारण ज्ञान होना अनिवार्य है।
6. छात्र और छात्राएँ दोनों ही प्रवेश के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे एवं अध्यापक भी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
7. जो विद्यार्थी नौकरी में हैं- उन्हें इस आशय का प्रमाण-पत्र तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (उस संस्था से जहां वे नौकरी करते हैं), प्रवेश-पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

फीस व शुल्क

प्रथमा, मध्यमा एवं विशारद व हॉबी कक्षा के लिए

1. प्रवेश शुल्क	: 25.00 रुपये प्रति वर्ष
2. शिक्षण शुल्क (Tution Fee)	: 50.00 रुपये केवल लड़कों के लिए (मासिक) = 600.00 प्रति वर्ष
3. महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	: 50.00 रुपये
4. परिचय-पत्रक फण्ड	: 10.00 रुपये
5. स्वास्थ्य (Medical) शुल्क	: 6.00 रुपये
6. युवा कल्याण शुल्क	: 02.00 रुपये
7. सम्मिलित निधि	: 25.00 रुपये प्रतिमाह 300.00 रुपये प्रति वर्ष
8. खेल व साँस्कृतिक निधि	: 20.00 रुपये प्रति माह 240.00 रुपये प्रति वर्ष
9. भवन निधि	: 10.00 रुपये प्रति माह 120.00 रुपये प्रति वर्ष
10. फर्नीचर फण्ड	: 10.00 रुपये प्रति वर्ष
11. परिसर विकास एवं सौन्दर्यकरण शुल्क	: 10.00 रुपये प्रति वर्ष
12. मिश्रित फण्ड	: 60.00 रुपये प्रति वर्ष
योग (लड़कियों के लिए)	: 843.00 रुपये प्रति वर्ष
योग (लड़कों के लिए)	: 1443.00 रुपये प्रति वर्ष
13. अभिभावक-प्रध्यापक संघ फण्ड	: 500.00 रुपये प्रति वर्ष
(केवल बाहर के विद्यार्थियों के लिए)	
योग (लड़कियों के लिए)	: 838.00+500.00 = 1338.00 रुपये प्रति वर्ष
योग (लड़कों के लिए)	: 1438.00+500 = 1938.00 रुपये प्रति वर्ष

अनुशासन स्थापना सम्बन्धी नियम:

1. अवकाश हेतु प्रार्थना-पत्र पर ही छात्र-छात्रा के अभिभावक के स्वीकृति हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
2. केवल वही छात्र परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे जिनकी न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति प्रतिवर्ष होगी।
3. महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति होने पर छात्र-छात्रा उत्तरदायी होंगे।
4. प्राचार्या की अनुमति एवं अनुमोदन के बिना किसी भी छात्र समिति का गठन या सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता।
5. किसी भी व्यक्ति को महाविद्यालय में किसी भी सन्दर्भ में आयोजित की जाने वाली किसी भी बैठक में प्राचार्या की अनुमति के बिना भाषण देने हेतु आमन्त्रित नहीं किया जा सकता।
6. प्रत्येक छात्र से महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने तथा उसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है।
7. परिचय-पत्र के बिना महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

परीक्षाएं:

सम्बन्धित पाठ्यक्रम की अवधि चार वर्ष है। प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर में परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। प्रथम वर्ष के उपरान्त “प्रथमा” का प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। इसके एक वर्ष उपरान्त विद्यापीठ द्वारा “मध्यमा” का डिप्लोमा दिया जाता है। आगामी एक वर्ष के अध्ययन के पश्चात् “विशारद प्रथम” आगामी वर्ष में अन्तिम अर्थात् चार वर्ष पश्चात् भातखण्डे संगीत विद्यापीठ द्वारा “विशारद द्वितीय” वर्ष का डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर विद्यार्थी को डिग्री भी प्रदान की जाती है।

नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों के लिए निम्न प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
 सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री _____ इस संस्था/कार्यालय
 में दिनांक _____ से _____
 पद पर कार्य कर रहे/रही है। राजकीय महाविद्यालय शिमला में उनके _____
 _____ कक्षा में अध्ययनरत होने में इस संस्था/कार्यालय को किसी
 प्रकार की आपत्ति नहीं है तथा वे यह प्रवेश इस कार्यालय की अनुमति से कर रहे/रही है।
 तिथि _____

हस्ताक्षर

नाम _____

पद _____

कार्यालय की मोहर

अन्य स्थान पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
 सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री _____ इस संस्था/कार्यालय
 में दिनांक _____ से _____
 पद पर कार्य कर रहे/रही है। राजकीय महाविद्यालय शिमला में उनके _____
 _____ कक्षा में अध्ययनरत होने में इस संस्था/कार्यालय को किसी
 प्रकार की आपत्ति नहीं है तथा वे यह प्रवेश इस कार्यालय की अनुमति से कर रहे/रही है।
 तिथि _____

हस्ताक्षर

नाम _____

पद _____

कार्यालय की मोहर



ZERO TOLERANCE TO RAGGING

Ragging is a criminal offence and any student found involved in ragging in any form whatsoever, will be **punished stringently**. Ragging in and around the college/ hostel campus or on roads/ approaches leading thereto is strictly prohibited. If any student is found indulging in ragging directly or indirectly, the college authorities shall be obliged under rule 22.17 (a) (b) (c) of H. P. University to expel the guilty and report the matter to the police as ragging amounts to a criminal offence. The college has constituted an **Anti-Ragging Cell** to ensure a ragging free environment. The names and contact numbers of the respective teachers are as follows:

Anti-Ragging Cell

NAME	CONTACT NO.
Dr. Saroj Bhardwaj (Convener)	9816086304
Dr. Luxmi (Co-Convener)	9418475172
Dr. Praveen Bhatia	9816035435
Dr. Tanendra Devi	7018706234
Dr. Jyoti Pandey	9418159310
Ms. Versha Chauhan	8988375897

- Smoking, consuming drugs, alcohol, tobacco products or any other intoxicating substances is strictly prohibited in the college/ hostel campus. Any violation will attract severe disciplinary action.
- The students must carry their identity cards at all times. Entry in the college without identity cards is strictly prohibited.
- The prospectus cum handbook of information is published for the purpose of information only. Information contained in this document does not form the basis of any binding or give rise to any contractual or other obligation on behalf of R.K.M.V. The college does not accept any liability whatsoever to any person in relation to the content of this document and any reliance placed on it.

Address:

Rajkiya Kanya Mahavidyala
Longwood, Shimla, Himachal Pradesh
Pincode: 171001

Facebook Page: Rajkiya Kanya Mahavidyalaya, Shimla